न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 138 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 228

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.धनाराम पुत्र तेजा		1.पेमसिंह पुत्र कुआ जाति दरोगा
2.पुखराज पुत्र तेजा		2.अमरसिंह मोहनसिंह जाति पुरोहित
3.मुस्मात मथरा पत्नी धेवरराम		3.करनसिंह पुत्र पेमसिंह
4.मेघाराम उर्फ मेगाराम पुत्र धेवरराम		4.जगदीशसिंह पुत्र पेमसिंह
5.सुरेश पुत्र धेवरराम जाति सुथार		5.पदमसिंह पुत्र रामसिंह
निवासी टिबानिया,थूम्बली		6.बाबुसिंह पुत्र रामसिंह
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		7.भूरसिंह पुत्र मोहनसिंह
		8.भीमसिंह पुत्र रामसिंह
		9.मांगीकंवर पत्नी मोहनसिंह
		10.रामसिंह पुत्र पेमसिंह
		11.लिखमसिंह पुत्र पेमसिंह
		12.हस्तीसिंह पुत्र रामसिंह जाति पुरोहित
		निवासी–टिबानिया,थून्बली तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
		13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

Signature Not Verified

दिनांक 26/06/2024

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य [illegible] है कि [illegible] भूमि ग्राम टिबानिया तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 68 [illegible] हैक्टयर एवं खसरा संख्या 165 [illegible] क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण [illegible] शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम टिवानिया तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 0.9146 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 165/69 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम टिबानिया तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 0.9146 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 165/69 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 478/314 क्षेत्रफल 3.8121 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम टिबानिया तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 0.9146 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 165/69 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगतं प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा **विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा [illegible] में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहा यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसा विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.06.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। वकील प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम टिबानिया तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 0.9146 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 165/69 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिए सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.06.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested